उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN :U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1053–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 16–10(2)पें0एवंआर0 / 12, दिनांक : 03 नवम्बर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) /
मुख्य अभियन्ता (जानपद–वितरण / पारेषण),
मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा प्रशा0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0,
एस0एल0डी0सी0 परिसर,
विभुतिखण्ड, फेज–2, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय : **दिनांक 09.08.2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य सचिव महोदय की नियत व्यक्तिगत उपस्थिति के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 02.08.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा अनुभाग–2 के पत्र संख्या : 1640 / 24–पी–2–16–सा0 (130) / 15–टी0सी0–1, दिनांक 17.08.2016 एवं उसके संलग्नक कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या : 4 / 1 / 2002–का–2 / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 03 अगस्त, 2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कार्मिकों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 एवं 27.11.2015 के अनुपालन में पदावनत किये गये कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण से क्षुब्ध होकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में "आई0ए0" दाखिल की गई, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों (छायाप्रति संलग्न) के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या : 1053–पें0एवंआर0–28 / पाकालि0 / 16 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमश...2..

4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर--। एवं स्तर-।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या : 1640 / 24–पी–2–16–सा0(130) / 15टी0सी0–1

प्रेषक:

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक / निदेशक,
1–उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2–उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3–उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4–उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5–विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 17 अगस्त, 2016

विषयः– दिनांक 09.08.2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य सचिव महोदय की नियत व्यक्तिगत उपस्थिति के संदर्भ मे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 02.08.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–4 / 1 / 2002–का–2 / 2012टी0सी0–1 दिनांक 03.08.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति कार्मिकों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 एवं 27.11.2015 के अनुपालन में पदावनत किया गया। कतिपय पदावनत किये गये कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण से क्षुब्ध होकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में कई "I.A." दाखिल की गयी है। उक्त सभी "I.A." से सम्बन्धित विभागों को समयान्तर्गत वांछित कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव

संख्या : 1640(1) / 24–पी–2–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विशेष सचिव (श्री शर्मा), अनु सचिव (श्री गौतम) एवं ऊर्जा अनुभाग–1, 3 एवं निजी निवेश (प्रकोष्ठ) को कार्मिक अनुभाग–2 के उक्त पत्र दिनांक 03.08.2016 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
अनु सचिव

SSG letter 1

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–4/1/2002–का–2/2012टी.सी.1
लखनऊ दिनांक: 03 अगस्त, 2016

प्रमुख सचिव/सचिव

सचिवालय प्रशासन, उच्च शिक्षा,बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, सिंचाई, ऊर्जा, नगर विकास, कारागार प्रशासन एवं सुधार, पशुपालन, आवास, ग्रामीण अभियंत्रण तथा लोक निर्माण विभाग।

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कार्मिकों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 एवं 27.11.2015 के अनुपालन में पदावनत किया गया। कतिपय पदावनत किए गए कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण से क्षुब्ध हो कर मा.सर्वोच्च न्यायालय में "आई.ए." दाखिल की गई हैं, जिनमें मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में दिनांक 09.08.2016 को मुख्य सचिव महोदय की व्यक्तिगत उपस्थिति नियत है।

2. उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त अनुपालन हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

04.8.2016
(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

9.8.16
(...)
प्रमुख निजी सचिव
विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग
उ0 प्र0 शासन।

(एन0 एच0 रिजवी)
विशेष सचिव
ऊर्जा
उ0 प्र0 शासन

दिनांक 09.08.2016 को मा.उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य सचिव महोदय की नियत व्यक्तिगत उपस्थिति के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कार्मिकों को मा.सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2012 के समादर में पदावनत किया गया, जिसके विरूद्ध कार्मिकों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण से क्षुब्ध हो कर, कतिपय कार्मिकों द्वारा, मा.सर्वोच्च न्यायालय में आई.ए. संख्या–11–12, 13–14, 15–16 एवं 17–18/2016 योजित की गई है। उक्त आई.ए में दिनांक 05.07.2016 को मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत् हैः–

> Let the matter be listed on 9.8.2016.
> The Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh shall remain personally present in the Court on that day at 10.30 a.m..
> The Registry is directed to communicate the order to the said authority.

उक्त "आई.ए." में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई।

उपस्थितिः– संलग्न है।

आई.ए. संख्या–11–12/2016, जो सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है, सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए कि दिनांक 27.04.2012 से अब तक ज्येष्ठता सूची अंतिम नहीं की गई है, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाय। दिनांक 23.07.2016 को निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को न्याय/कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर दिनांक 05.08.2016 तक अंतिम रूप से निर्गत किया जाय।

आई.ए. संख्या–13–14/2016, के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिस कार्मिक को पदावनत किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त उक्त कार्मिक का पदावनति आदेश निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आई.ए. द्वारा याचित अनुतोष को स्वीकार कर लिया गया।

आई.ए. संख्या–15–16/2016 के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि उक्त प्रत्यावेदन का पुनः परीक्षण कर उसे दिनांक 05.08.2016 तक निस्तारित किया जाय।

आई.ए. संख्या–17–18/2016 के बारे में शिक्षा विभाग चिन्हित हुआ है, लेकिन किस शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, यह अभी तय नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि जानकारी कर सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा–उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा से वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पादित कराई जाए।

उपर्युक्त सभी "आई.ए." से सम्बन्धित विभागों को समेकित रूप से निर्देश दिए गए कि वे श्री रवि पी. मेहरोत्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को न्याय विभाग से आबद्ध कराकर एवं उनसे सम्पर्क कर तत्काल अनुपालन आख्या तैयार कराकर मा.सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करायें।

बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश भी दिए गए :–

- पदावनति के विरूद्ध जितने भी प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है, उनको 10 दिन के अंदर, कार्मिक/न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर, निस्तारित किया जाय।
- नीतिगत विषय से सम्बन्धित प्रकरणों में न्याय विभाग की सहमति प्राप्त कर ही शपथ–पत्र दाखिल किया जाय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

....